न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख फैसला

मि0न0
32 / 2023

13.05.2023

उनवान

1— हेमकंवर उर्फ सन्तोष कंवर पुत्री रतनसिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी आमली कालू सिंह तहसील फुलिया कंला जिला भीलवाडा राज0 (वादनी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से — श्री आर0बी0दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से-- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता सं0 17 की खसरा नम्बर 169 रकबा 0.21 हेक्टर कुल 1 किता की 0.21 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादनी का नाम संतोष कंवर दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 संलग्न है।

यह कि वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम संतोष कंवर के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का वास्तविक नाम हेमकंवर है तथा समस्त दस्तावेजों मे भी वादनी का नाम हेमकंवर है। जिससे वादनी को सरकारी योजनाओ म किसान क्रेडीड कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादनी का नाम हेमकंवर है। वादनी की नाम हेमकंवर के स्थान पर संतोषकंवर दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम संतोष कंवर के स्थान पर हेमकंवर दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 15.02.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादनी का निवेदन है कि वादनी के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:—

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता सं0 17 की खसरा नम्बर 169 रकबा 0.21 हेक्टर कुल 1 किता की 0.21 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम संतोष कंवर के स्थान पर हेमकंवर दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में संतोष कंवर एवं हेमकंवर एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादनी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादनी का नाम संतोष कंवर के स्थान पर हेमकंवर उर्फ संतोष कंवर दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता सं0 17 की खसरा नम्बर 169 रकबा 0.21 हेक्टर कुल 1 किता की 0.21 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में संतोष कंवर के स्थान पर हेमकंवर उर्फ संतोष कंवर दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।